शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री सौरभ भारद्वाज
दिनांक : 07.08.2018
विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 100
क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	त्रिवेणी मार्केट, शेख सराय फेज–2 में दुकानों और रेस्टोरेंट द्वारा किए गए स्थाई अतिक्रमण के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, कृपया 1 जनवरी 2015 से 30 जून 2018 के बीच की गई एतद्संबंधी कार्रवाई का ब्यौरा दें9	**दिल्ली पुलिस** दिल्ली पुलिस से संबंधित विभाग को अतिकमण हटाने के लिए मदद देती है तथा अतिकमणकारियों के खिलाफ भी समय–समय पर कार्यवाही करती है इस क्षेत्र में वर्ष 2015, 2016, 2017 एवं 2018 (30.06.2018 तक) दिल्ली पुलिस द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गयी कार्यावाही का ब्यौरा कमशः परिशिष्ट **'क' पर संलग्न** है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** 01.06.2018 को सीढ़ियो के नीचे छोटा मन्दिर व कमल रेस्टोरेन्ट के पास एक दीवार हटाई गई।
ख	क्या त्रिवेणी मार्केट, शेख सराय फेज–2 में कानूनन बेसमेंट का निर्माण कराया जा सकता है;	**दिल्ली पुलिस** दिल्ली पुलिस अपने आप से निर्माण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। सिर्फ डीएमसी एक्ट की धारा 475 के तहत किसी भी अनाधिकृत निर्माण के संबंध में सूचना भू–स्वामित्व विभागों कोदेती है। इसके अलावा डीएमसी एक्ट की धारा 344 (2) के तहत जब एमसीडी के द्वारा नोटिस देकर पुलिस को निर्देश दिया जाता है तभी पुलिस निर्माण कार्य रूकवाती है और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य सामग्री जब्त भी करती है। दिल्ली पुलिस द्वारा इस क्षेत्र में वर्ष 2015, 2016, 2017 एवं 2018 (30.06.2018 तक) के दौरान भूस्वामित्व के संदर्भ में भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा परिशिष्ट **'ख' पर संलग्न** है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** **भवन विभाग द0 क्षे0 से प्राप्त सूचना के अनुसार :–**त्रिवेणी मार्किट DDA द्वारा बनाई गई है। अतः इस प्रश्न का उत्तर DDA से संबंधित है।
ग	त्रिवेणी मार्केट, शेखसराय फेज–2 में बनाए गए बेसमेंटों के विरुद्ध दिनांक 1 जनवरी 2015 से 30 जून 2018 मे बीच एसडीएमसी/डीडीए/किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई की विवरण क्या है;	**दिल्ली पुलिस** उपरोक्तानुसार। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उक्त अवधि में विभागीय अभिलेख के अनुसार दुकान नं. –7, LSC, डीडीए मार्केट शेख सराय फेस–2 धारा 343/344 के तहत फाईल नं. 382/UC/B-I/SZ/15 दिनांक 4/12/2015 तथा दुकान नं. –45 पर, 383/ UC/B-I/SZ/15 दिनांक 4/12/2015 को कार्यवाही की गई है।
घ	यदि त्रिवेणी मार्केट में बेसमेंटों का इस्तेमाल अभी भी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है तो इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व किन अधिकारियों का था, नाम व पदनाम सहित विवरण उपलब्ध कराएं; और	**दिल्ली पुलिस** उपरोक्त 'ख' के अनुसार। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त कार्यवाही के दौरान यह ज्ञात हुआ कि समपत्ति वर्ष 2007 से पहले कि निर्मित है जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान अधिनियम 2014 के तहत निर्माण और साथ ही संपत्तियों का दुरूपयोग 31/12/2020 तक सभी दंडकारी कार्यवाइयों से सुरक्षा के लिए पात्र है।
ङ	इन अधिकारियों के विरुद्ध विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है?	**दिल्ली पुलिस** उपरोक्त 'ख' के अनुसार। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त (ग) और (घ) के संदर्भ में लागू नहीं है।

R. S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat

परिशिष्ट 'क'

दिल्ली पुलिस द्वारा त्रिवेणी मार्केट, शेख सराय फेज-2 में वर्ष 2015, 2016, 2017 एवं 2018 (30.06.2018 तक) के दौरान अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौराः-

वर्ष	283 भा.द.स. के तहत दर्ज मुकदमें		83/97 दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत दर्ज कलन्दरे	
	दर्ज मुकदमों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	दर्ज कलन्दरों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
2015	–	–	–	–
2016	–	–	01	01
2017	–	–	01	01
2018 (15.07.2018 तक)	01	01	–	–

परिशिष्ट 'ख'

दिल्ली पुलिस द्वारा त्रिवेणी मार्केट, शेख सराय फेज-2 में वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 (30.06.2018 तक) के दौरान भूस्वामित्व विभागों को अनाधिकृत निर्माण के संदर्भ में भेजी गई सूचनाओं का ब्यौराः-

वर्ष	भेजी गई सूचनाएं
2016	01
2017	13
2018 (30.06.2018 तक)	04